SDO सा० की आज्ञा से

01/24 पत्रावली पेश हुई. वकील उभयपक्ष अनुपस्थित
उपस्थित का अवसर दिया जाकर पत्रावली
वास्ते जवाब दि० 20/2/24 को पेश हो

पुनश्च, वकील उभयपक्ष को उपस्थिति के
पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं बाद-
आवाजें लगाई गई, उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी
अदम पैरवी से खारिज की
अदम वसूली बदम पैरवी से खारिज की
जाती है, पैशकार दुरुस्त होकर नंबर ले कम हो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.12 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested